गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 219
दि. 10.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

भारत में बुजुर्ग आबादी का तेजी से बढ़ता स्वरूप 2036 तक हर सातवां नागरिक सीनियर सिटिजन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की जनसंख्या में वृद्ध होने वाले लोगों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है और इसका प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा पर गहराता जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 10.16 करोड़ थी। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 2036 तक बढ़कर 22.74 करोड़ तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में कुल जनसंख्या में 8.4% हिस्सेदारी रखने वाले बुजुर्ग, अगले 15 वर्षों में 14.9% जनसंख्या का हिस्सा बन जाएंगे। यानी हर सातवां भारतीय 60 साल या उससे अधिक उम्र का होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के साथ उनके सामने स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और डिजिटल साक्षरता जैसी नई चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवारों का स्वरूप बदलने के कारण बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी पहले की तुलना में कम लोगों पर आ गई है। संयुक्त परिवार की जगह छोटे परिवारों ने ले ली है, जिससे बुजुर्गों के लिए अकेलेपन और देखभाल में कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। इसे रिपोर्टों में "विरोधाभास" के रूप में

वर्णित किया गया है—बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन समाज की पारंपरिक सोच और उनकी देखभाल की अपेक्षाएं पहले जैसी नहीं रही।

सरकार ने इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) लागू की है। 1 अप्रैल 2021 से यह योजना पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। इसके अलावा, नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं। परिषद में विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो बुजुर्गों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक बुजुर्ग केरल में हैं। यहां कुल आबादी का 16.5% हिस्सा 60 साल से ऊपर के लोगों का है। इनमें 11% लोग 80 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। 2031 तक यह अनुपात बढ़कर 25% तक पहुँचने की संभावना है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि केवल बुजुर्ग ही रहते हैं, क्योंकि युवा पलायन कर शहरों या विदेशों में चले गए हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (आईआईएमडी) की रिपोर्ट के अनुसार, केरल में 3.43 करोड़ आबादी वाले राज्य के कई गांवों में बुजुर्ग ही घरों में शेष हैं; 12 लाख से अधिक घरों में ताले लगे हैं और 21 लाख से अधिक घरों में केवल बुजुर्ग रहते हैं।

इसके अलावा नीति आयोग ने 2023 में यह भी अनुमान लगाया था कि 2050 तक भारत में हर पांचवां नागरिक बुजुर्ग होगा। वर्तमान में 10.40 करोड़ लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% है। 2050 तक यह अनुपात बढ़कर 19.5% तक पहुँच जाएगा। यह वैश्विक पैटर्न के अनुरूप है, जहां दुनिया भर में 60 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

विश्लेषकों का कहना है कि भारत में जन्म दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह न केवल समाज और परिवार की संरचना बदल रहा है, बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और डिजिटल साक्षरता जैसी नई नीतियों की आवश्यकता भी उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार, 2036 तक भारत का सामाजिक परिदृश्य बदलने वाला है, जहां हर सातवां नागरिक वरिष्ठ नागरिक होगा। इससे यह स्पष्ट है कि बुजुर्गों के लिए समग्र और समन्वित नीतियों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, ताकि उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की गारंटी सुनिश्चित की जा सके।

गोवा अग्निकांड के बाद सख्त हुई सरकार, लूथरा बंधुओं के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलाने की तैयारी तेज

गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए भयावह अग्निकांड ने राज्य प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। इसी हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फरार गौरव और सौरभ लूथरा के अवैध रूप से संचालित क्लबों पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री का निर्देश साफ है—जो भी प्रतिष्ठान बिना अनुमति, बिना सुरक्षा मानकों और बिना पर्यावरणीय मंजूरी के चलते हैं, उन पर किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी।

सरकार के आदेश के बाद प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, वागाटोर और अन्य तटीय इलाकों में लूथरा बंधुओं द्वारा संचालित सभी क्लबों व कैफे की सूची तैयार की जा रही है और पंचायत स्तर पर नए तोड़फोड़ नोटिस जारी होने की पूरी संभावना है। वागाटोर की पहाड़ी पर स्थित उनका प्रमुख क्लब सरकारी जमीन में अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिसमें न अग्नि सुरक्षा की स्वीकृति ली गई, न ही संरचनात्मक अनुमति, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य थी।

पिछले कई वर्षों में स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं ने इस अवैध निर्माण की शिकायतें पुलिस, तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और टाउन प्लानिंग विभाग तक पहुंचाईं, लेकिन कार्रवाई हमेशा कागजों में अटकी रही। सामाजिक कार्यकर्ता रवि हरमलकर ने बताया कि शिकायतें करने पर लूथरा भाई उन्हें लगातार धमकाते रहे और जब वे बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) पहुंचे, तभी कुछ आंशिक तोड़फोड़ हो सकी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिल्ली से गोवा तक लूथरा बंधुओं का राजनीतिक प्रभाव और अधिकारियों से मिल रही मदद के चलते कार्रवाई लगातार टलती रही।

अग्निकांड के बाद जब पुलिस दोनों भाइयों के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची तो वे गायब मिले। 7 दिसंबर को गोवा पुलिस के अनुरोध पर आव्रजन ब्यूरो ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया, लेकिन उससे पहले ही दोनों थाईलैंड रवाना हो चुके थे। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे दुनिया भर की एजेंसियां इनके लोकेशन, पहचान और यात्रा संबंधी जानकारियां साझा कर सकेंगी। गोवा सरकार के इस अचानक सख्त रुख ने राज्य के नाइटलाइफ़ उद्योग में खलबली मचा दी है। प्रशासन का कहना है कि यह केवल एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अवैध गतिविधियों और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का परिणाम है, जिसने अंततः एक बड़े हादसे को जन्म दिया। अब जब बुलडोजर कार्रवाई तेज होने वाली है, पूरे राज्य की नजर इस बात पर टिक गई है कि लूथरा बंधुओं का यह विशाल क्लब नेटवर्क कितने दिनों में धराशायी होता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पहले नागरिकता, फिर मतदाता सूची में दर्ज नाम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में नागरिकता और मतदाता अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने देशभर में इस विषय पर बहस को और तेज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें तत्काल मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक सक्षम प्राधिकार किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं करता, तब तक ऐसे व्यक्तियों को मतदाता सूची का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले नागरिकता तय होनी जरूरी है, उसके बाद ही मतदाता बनने का अधिकार प्रभावी होगा। यह मामला एक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, जिसे गैर सरकारी संगठन 'आत्मदीप' ने दाखिल किया था। याचिका में बांग्लादेश से आए और सीएए के तहत नागरिकता पाने के पात्र शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद वोटर लिस्ट में शामिल करने की मांग

की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने तर्क दिया कि नागरिकता का अधिकार आवेदन की तारीख से माना जाना चाहिए और कई आवेदन लंबित हैं, जिन्हें अभी तक पूरा प्रोसेस नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर कहा कि जब तक नागरिकता निर्धारित नहीं होती, अदालत कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकती। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार केवल उन प्राधिकरणों को है, जिन्हें केंद्र सरकार ने नागरिकता निर्धारण के लिए अधिकृत किया है। निर्वाचन आयोग का इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने भी यह बात सामने रखी कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का निर्णय पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने यह भी आग्रह किया कि लंबित नागरिकता आवेदन पर समयसीमा तय की जाए, ताकि शरणार्थियों और नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के अधिकारों में देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला केवल एक कानूनी तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की समझ को स्पष्ट करता है। यह दर्शाता है कि नागरिकता और मतदाता अधिकार सीधे जुड़े हुए हैं और किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह निर्णय भविष्य में नागरिकता और मतदाता अधिकारों से संबंधित मामलों के लिए मानक स्थापित कर सकता है और शरणार्थियों तथा सीएए से जुड़े नागरिकों के अधिकारों की दिशा तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से यह भी साफ हो गया है कि भारत में मतदाता अधिकार का आधार कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नागरिकता है। इससे जुड़े मामलों में न्यायपालिका ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति का वोट डालने का अधिकार तभी सुरक्षित माना जाएगा जब वह पूरी तरह से भारतीय नागरिक होगा। इस निर्णय से सरकार, नागरिकता प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग की भूमिकाएं भी स्पष्ट हुई हैं, और भविष्य में ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश मिलने की संभावना बढ़ गई है। इस फैसले ने देश में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के महत्व को दोहराते हुए यह सुनिश्चित किया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करना केवल नागरिक होने के बाद ही संभव होगा, और यह प्रक्रिया पारदर्शिता, नियमबद्धता और न्यायसंगत तरीके से पूरी होगी।

लाल किले विस्फोट की गुत्थी सुलझाने को जंगलों में उतरी NIA, आतंकियों के छिपे ठिकानों की तलाश में घंटों combing ऑपरेशन

(जीएनएस)। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए रहस्यमय विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों को शुरू से ही सतर्क कर दिया था। इसी कड़ी में मंगलवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के घने जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। घाटी के दक्षिणी हिस्से में फैले इन इलाकों को लंबे समय से आतंकियों की गतिविधियों का छिपा आश्रय माना जाता रहा है, और अब एनआईए इन जंगलों में उन सुरागों की तलाश कर रही है जिनका खुलासा हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो आरोपितों ने पूछताछ के दौरान किया था।

एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियों के साथ सुबह से ही अभियान में जुट गई। विशेष बात यह रही कि एजेंसी अपने साथ डॉ. अदील राथर और जसीर बिलाल वानी को भी लेकर पहुंची—दोनों युवकों को कुछ दिन पहले तथाकथित "व्हाइट कॉलर" टेरर मॉड्यूल का हिस्सा होने के आरोप में पकड़ा गया था। आरोपितों ने जांचकर्ताओं को बताया था कि दक्षिण कश्मीर के मट्टन क्षेत्र के जंगलों में कुछ ऐसे ठिकाने बने हुए हैं जहां आतंकियों ने विस्फोटक सामग्री और डिजिटल उपकरण छिपाकर रखे थे।

घाटी के अनंतनाग के आसपास का इलाका कठिन पहाड़ी ढलानों और घने चिल व देवदार के जंगलों से घिरा है। जांच टीम को अंदेशा है कि विस्फोट की योजना इसी नेटवर्क ने तैयार की और इसके कुछ निशान इन जंगलों में मौजूद हो सकते हैं। इसी वजह से एजेंसी आरोपितों को मौके पर लेकर पहुंची ताकि वे बताए गए स्थानों की सही-सही पहचान करा सकें। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च को कई सेक्टरों में बांटा। हर सेक्टर में CRPF के कमांडो और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने घंटों combing की। इस दौरान ड्रोन कैमरों और हाइटेक लोकेशन-ट्रैकिंग उपकरणों का भी सहारा लिया गया। हालांकि अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल गोपनीय रखी गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि टीम को कुछ "संभावित संदिग्ध बिंदु" मिले हैं जिनकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है।

एनआईए की यह कार्रवाई संकेत देती है कि लाल किला विस्फोट को किसी बड़े मॉड्यूल ने अंजाम दिया हो सकता है, जिसकी पहुंच कश्मीर के भीतरी इलाकों तक फैली है। जांच एजेंसी लगातार अलग-अलग राज्यों और नेटवर्क की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश में है। आतंकवाद की बदलती तकनीक, डिजिटल एन्क्रिप्शन और 'व्हाइट कॉलर' मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे नए प्रकार के सहायताकर्ताओं ने जांच को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

फिलहाल एनआईए पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के जंगलों में हुआ यह तलाशी अभियान साफ संकेत है कि एजेंसी किसी बड़े सुराग के करीब पहुंच चुकी है—और अब इस पूरे मामले की कड़ियाँ एक-एक कर सामने आ सकती हैं।

सूचना आयोग में नई नियुक्तियों पर आज बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री की समिति करेगी मुख्य सूचना आयुक्त के नाम पर मंथन

(जीएनएस)। नई दिल्ली में आज का दिन पारदर्शिता से जुड़े तंत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की बैठक होने की प्रबल संभावना जताई गई है। यह वही समिति है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

देश में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत काम करने वाला केंद्रीय सूचना आयोग लंबे समय से रिक्तियों की समस्या से जूझ रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है और आठ सूचना आयुक्तों के पद भी रिक्त पड़े हैं, जिससे अपीलों और शिकायतों के निस्तारण में भारी देरी हो रही है। आयोग में कुल एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस सूचना आयुक्तों का प्रावधान है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रहना आम जनता की सूचना संबंधी अधिकार प्रक्रिया पर सीधा असर डाल रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों दायर हलफनामे में यह बताया गया था कि समिति 10 दिसंबर को इन पदों के लिए नामों पर विचार कर सकती है। तब से इस बैठक का इंतजार किया जा रहा था, और अब संकेत मिल रहे हैं कि बुधवार की शाम तक समिति नए मुख्य सूचना आयुक्त समेत अन्य सूचना आयुक्तों के लिए योग्य नामों पर गहन चर्चा करेगी।

इस बैठक को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में उत्सुकता इसलिए भी अधिक है, क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय बाद किसी ऐसी चयन समिति का हिस्सा बन रहे हैं, जिसका निर्णय सीधे तौर पर पारदर्शिता संस्थानों के भविष्य को प्रभावित करेगा। विपक्ष की ओर से लंबे समय से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आयोग में रिक्तियां जानबूझकर नहीं भरी जा रहीं, ताकि आरटीआई की शक्ति कमजोर हो। वहीं सरकार का कहना रहा है कि चयन प्रक्रिया गंभीर और विस्तृत है, इसलिए समय लगना स्वाभाविक है। सूत्रों का कहना है कि समिति के सामने कई वरिष्ठ नौकरशाहों, पूर्व सूचना आयुक्तों और प्रशासनिक अनुभव वाले उम्मीदवारों के नाम हैं, जिन पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए समिति ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहेगी, जिसकी छवि निष्पक्ष, सख्त और प्रशासनिक कुशलता से भरपूर हो।

सूचना आयोग की कार्यक्षमता पिछले कुछ महीनों में काफी प्रभावित हुई है। लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई अपीलकर्ता वर्षों से अपने मामलों पर सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आज होने वाली बैठक से यह उम्मीद बंधी है कि आयोग जल्द ही नए नेतृत्व के साथ मजबूत ढांचे में काम करना शुरू करेगा।

अब निगाहें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि इसका असर न केवल आयोग के भविष्य, बल्कि देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति पर भी सीधा पड़ेगा।

संपादकीय

वंदे मातरम का उद्घोष

यह सुखद ही है कि कृतज्ञ राष्ट्र देश के स्वतंत्रता सेनानियों में ओज का संचरण करने वाले गीत वंदे मातरम के सृजन के डेढ़ सौ साल पूरे होने को एक उत्सव की तरह मना रहा है। स्वतंत्रता के लिये संघर्षरत करोड़ों भारतीयों में इस गीत ने आजादी का जज्बा भरा था। लाखों स्वतंत्रता सेनानी इस गीत से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर हो जाते थे। इस पावन वेला में देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सही मायनों में यह अवसर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है। इस गीत की सर्वस्वीकार्यता का आलम ये था कि भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की दृष्टि से देखा था। इसी आलोक में वंदे मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर लोकसभा में इस पर चर्चा का शुरू होना सुखद ही है। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब इस गीत के सृजन के पचास साल पूरे हुए तो देश परतंत्र था। जब इसके सौ साल पूरे हुए तो देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, फलतः उस दौर में इस गीत को जनता व स्वतंत्रता सेनानियों का सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला। निस्संदेह,बंकिम चंद्र चटर्जी की इस रचना ने बंगाल में क्रांतिकारियों को गहरे तक प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हालांकि, विपक्ष इसे सुर्खियों में लाने के फैसले के राजनीतिक निहितार्थों की बात कर रहा है। वे इसके समय को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। अविभाजित बंगाल की पृष्ठभूमि में जन्मे इस ओज के गीत को बंगाली समाज ने अपनी अस्मिता से जोड़कर देखा। खासकर बंगाल विभाजन के बाद इसे बंगाल की अस्मिता पर फिरंगियों के प्रहार के दौर में एक मरहम के तौर पर देखा। निस्संदेह, देश ऐसे स्मरण उत्सव का हकदार है, मगर वे चुनावी नजरियों से मुक्त हों। विपक्ष की दलील है कि जब पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है तो इस गीत के प्रसंगवश राजनीतिक लाभ-हानि के तर्क गढ़े जा रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन में वंदे मातरम को एकता के सूत्रधार के रूप में सराहा गया। लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थों पर भी चर्चा हुई। दरअसल, उन्होंने जब भी कांग्रेस की आजादी से पहले और बाद की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया या फिर ऐतिहासिक विवादों का नये सिरे से जिक्र किया, तो विपक्ष ने उसे निशाने पर लिया। विपक्षी दलील है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने की कवायद में वैचारिक विभाजन को हवा दी जा रही है। कहा गया कि पश्चिम बंगाल, जहां इस गीत का जन्म हुआ, वहां की सांस्कृतिक पहचान राजनीति से जुड़ी रही है। वंदे मातरम एक भावनात्मक प्रतीक है और इसीलिए एक रणनीतिक प्रतीक भी। दरअसल, विपक्ष की नाराजगी राजग सरकार की उस प्रवृत्ति को लेकर है जिसमें वह सांस्कृतिक प्रतीकों को राजनीतिक अखाड़े में बदल रही है। उन्हें आशंका है कि साझी विरासत पर चिंतन के लिये आयोजित विमर्श का उपयोग चुनावी लाभ अर्जित करने के लिये किए जाने का खतरा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपनी जड़ें जमाए हुए है, फिर भी उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा का ममता बनर्जी द्वारा समर्थन किया जाना दर्शाता है कि वह इस मुद्दे को छोड़ने का इरादा नहीं रखती हैं। विडंबना ही है कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में ओज भरने वाले गीत के विमर्श में चिंतन की गंभीरता प्रभावित हुई है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल आज बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि हमारा सांस्कृतिक गौरव आवश्यक है, लेकिन यह सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता। इस ओज के गीत के 150 साल पूरे होने पर, इसे एकता को मजबूत करने और राष्ट्रवाद को बहुलता से स्वीकार करने के अवसर के रूप में होना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय, इस बहस के ध्रुवीकृत माहौल में बदलने के विवाद के पैदा होने की चिंता है। सही मायनों में देश के नेतृत्व का इतिहास का उपयोग राष्ट्र को एकजुट करने वाला होना चाहिए।

सांसदों को पार्टी व्हिप से 'आजादी' क्यों दिलवाना चाहते हैं मनीष तिवारी?

> मनीष तिवारी के इस विधेयक को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि वह स्वयं किस प्रकार की राजनीतिक भूमिका निभाते रहे हैं। हम आपको बता दें कि वह कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने समय-समय पर आधिकारिक रुख से हटकर अपनी स्वतंत्र राय व्यक्त की है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में ऐसा गैर-सरकारी विधेयक पेश किया है जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र की बहस को नई दिशा दे सकता है। हम आपको बता दें कि यह विधेयक सांसदों को पार्टी व्हिप के कठोर बंधन से मुक्त कर, उन्हें अधिकांश विधेयकों और प्रस्तावों पर स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति देने का प्रावधान करता है। मनीष तिवारी का प्रस्ताव है कि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव, वित्त विधेयक और सरकार की स्थिरता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर सांसदों को अपने विवेक, अपने निर्वाचन क्षेत्र की प्राथमिकताओं और सामान्य समझ के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। मनीष तिवारी का तर्क है कि आज की संसदीय प्रक्रिया में सांसद अक्सर अपनी पार्टी की आधिकारिक लाइन के दबाव में मतदान करने को मजबूर होते हैं, चाहे उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता का हित इससे मेल खाता हो या नहीं। उनके शब्दों में, "पार्टी व्हिप के चलते प्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसे सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।" हम आपको बता दें कि मनीष तिवारी बार-बार यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में प्राथमिकता उस मतदाता की होनी चाहिए जो नेताओं को चुनने के लिए घंटों धूप में खड़ा होता है, या उस राजनीतिक दल की जिसके निर्देशों का पालन करने को सांसद बाध्य हो जाते हैं?

देखा जाये तो मनीष तिवारी का यह विधेयक नया नहीं है, उन्होंने 2010 और 2021 में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा था। लेकिन समय बदलने के साथ इसका महत्व और बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि भारत की संसद में व्हिप की व्यवस्था मूलतः दल-बदल रोकने और सरकार की स्थिरता बनाए रखने के लिए

बनी थी, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था सांसदों को मात्र संख्या बल का हिस्सा बना देने का साधन है। ऐसे में मनीष तिवारी का प्रस्ताव संसदीय गरिमा और स्वतंत्र विचार की पुनर्स्थापना की मांग करता है।

हम आपको बता दें कि इस विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सांसद की सदस्यता केवल उन्हीं मामलों में समाप्त होनी चाहिए जहां सरकार के अस्तित्व या वित्तीय मसलों पर पार्टी लाइन से विचलन हो। बाकी मामलों में स्वतंत्र मतदान से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, क्योंकि कानून-निर्माण तभी गुणवत्तापूर्ण हो सकता है जब सांसद अपने व्यक्तिगत और क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर विचार रख सकें। मनीष तिवारी ने 10वीं अनुसूची में संशोधन की जरूरत पर भी जोर दिया है, ताकि यह आज के राजनीतिक संदर्भ में अधिक प्रासंगिक बन सके। उनका सुझाव है कि 10वीं अनुसूची से जुड़े मामलों की सुनवाई एक न्यायिक अधिकरण करे और अपील की प्रक्रिया स्पष्ट समयसीमा के भीतर पूरी हो।

दूसरी ओर, मनीष तिवारी के इस विधेयक को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि वह स्वयं किस प्रकार की राजनीतिक भूमिका निभाते रहे हैं। हम आपको बता दें कि वह कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने समय-समय पर आधिकारिक रुख से हटकर अपनी स्वतंत्र राय व्यक्त की है। उदाहरण के लिए अग्निपथ योजना के प्रति कांग्रेस का आधिकारिक रुख आलोचनात्मक रहा, मगर मनीष तिवारी ने सार्वजनिक रूप से उसकी तारीफ की थी और उसे एक सुधारवादी कदम बताया था। यह साहस किसी भी बड़े दल में असहमति के सीमित दायरे को देखते हुए उल्लेखनीय है।

इसी प्रकार, पहलगाम आतंकी हमले के बाद मनीष तिवारी उस सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने जो विदेश गया था। विपक्षी दल के सांसद का ऐसी आधिकारिक भूमिका में शामिल होना दर्शाता है कि मनीष तिवारी न केवल एक धारा के भीतर चलने वाले नेता हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी एक स्वतंत्र व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। साथ ही, मनीष तिवारी कांग्रेस के जी-23 समूह का हिस्सा रहे हैं। यह वह समूह था जिसने कांग्रेस नेतृत्व की निर्णय प्रक्रिया, संगठनात्मक चुनावों और आंतरिक लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाए थे। जी-23 का गठन ही इस बात का संकेत था कि कांग्रेस जैसे बड़े दल में भी कई वरिष्ठ नेता अधिक पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की मांग कर रहे थे।

इस परिप्रेक्ष्य में मनीष तिवारी का विधेयक केवल तकनीकी संशोधन का मामला नहीं है; यह भारतीय राजनीति में एक व्यापक सिद्धांत यानि सांसद का विवेक बनाम पार्टी अनुशासन, पर बहस का निमंत्रण है। सवाल उठता है कि यदि सांसद जनता की ओर से चुने जाते हैं, तो उन्हें हर मुद्दे पर कठोर पार्टी लाइन के अनुरूप मतदान क्यों करना चाहिए? बहरहाल, आज जब राजनीतिक दलों में नेतृत्व केंद्रीकरण बढ़ रहा है और संसदीय बहस कई बार औपचारिकता भर रह जाती है, ऐसे में मनीष तिवारी का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। यह संसद को फिर से विचार, विमर्श और स्वतंत्र राय का मंच बनाने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। आगे यह विधेयक पास हो या न हो, पर यह बहस अवश्य शुरू करता है कि लोकतंत्र किसके लिए है, दलों के लिए या जनता और उनके प्रतिनिधियों के लिए? वैसे यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को उन विषयों पर विधेयक पेश करने की अनुमति है, जिन पर उन्हें लगता है कि सरकार को कानून लाना चाहिए। हालांकि कुछ मामलों को छोड़कर, सरकार के जवाब के बाद ज्यादातर निजी विधेयक वापस ले लिए जाते हैं।

प्रेरणा

पत्थर के समय में हृदय की कोमलता का उदय

दक्षिण भारत के पहाड़ी प्रदेशों में घने वृक्षों और मंद सुगंधित हवाओं के बीच एक शांत आश्रम बसा था, जहाँ संत चिदंबरम् रहते थे। सुबह की पहली किरणें जब पर्वतों की चोटियों को स्पर्श करतीं, तो आश्रम में एक अनोखी पवित्रता फैल जाती—जैसे किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने उस स्थान को अपनी गोद में भर लिया हो। संत चिदंबरम् के चरणों में बैठने भर से लोग अपने दुःख भूल जाते। उनकी आँखों में ऐसी गहराई थी कि व्यक्ति को लगता—मानो उन्होंने संसार के सारे दुःख, सुख, प्रेम, मोह और विरक्ति को भीतर समा लिया हो। वे कम बोलते पर जो बोलते, वह सीधे हृदय को स्पर्श कर जाता। उनका विश्वास था कि ईश्वर हर हृदय में वास करता है, पर उसके द्वार तक पहुँचने का रास्ता करुणा और ममता से होकर ही गुजरता है।

एक दिन धीमी धूप का समय था। पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी और आश्रम में परिंदे हल्का शोर मचा रहे थे। तभी एक दंपति घबराते हुए आश्रम पहुँचा। उनके चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में कहना कठिन था। महिला का चेहरा सूखे फूल की तरह था—मुरझाया हुआ, थका हुआ, पर भीतर कहीं एक उम्मीद अभी भी जल रही थी। वह संत के सामने बैठते ही रो पड़ी। आँसुओं की धार जैसे वर्षों का जमाया हुआ दर्द बहा ले गई। "महाराज," उसने काँपते हुए स्वर में कहा, "हमारे विवाह को बहुत समय हो गया। हर जगह गए, सब उपाय किए पर संतान का सुख नहीं मिला। मेरा मन निराशा से भर गया है। आशीर्वाद दीजिए कि हमें चाहे पुत्र न मिले, पर एक पुत्री मिल जाए। एक बच्चा, जिसे हम गले लगाकर अपना कह सकें"

संत चिदंबरम् कुछ क्षण उसे देखते रहे। फिर उन्होंने अपने समीप रखी छोटी-सी टोकरी से मुट्ठी भर चने उठाए और उसकी ओर बढ़ा दिए।

"इनको आराम से बैठकर खाओ," वे शांत स्वर में बोले, "एक घंटे बाद लौटकर आना। तब मैं तुम्हें उत्तर दूँगा।"

महिला हैरान तो हुई, पर कुछ कहा नहीं। वह आश्रम के विशाल बरगद के नीचे जाकर बैठ गई। हवा हवा में हल्के पत्तों की सरसराहट थी। उसका पति पास ही बैठ गया। महिला चने खाने लगी।

उसी समय एक पतला-दुबला लड़का वहाँ से गुजरा। उसके पैरों में चप्पल नहीं थीं और कपड़े भी फटे हुए थे। उसके चेहरे पर भूख से बनी बेचैनी साफ झलक रही थी। वह थोड़ा ठिठका, फिर धीमी आवाज़ में बोला—

"अम्मा थोड़ा सा चना दे दो बहुत भूख लगी है"

महिला ने एक पल उसे देखा—उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में उम्मीद थी। पर पलभर में उसके भीतर कोई कठोर भाव जागा और वह कड़क आवाज़ में बोली—

"भागो यहाँ से! यह मेरे चने हैं, किसी को नहीं दूँगी!"

लड़का सहम गया। उसकी आँखों की उम्मीद बुझ गई, जैसे किसी ने दीपक फूँक मारकर बुझा दिया हो। वह धीरे-धीरे पीछे मुड़कर चला गया। उसकी चाल में थकान से ज्यादा निराशा थी।

एक घंटे बाद महिला वापस संत के पास पहुँची। संत ने उसे देखा, फिर पूछा— "तो देवी, चने खा लिए?"

"जी महाराज," उसने धीमे स्वरों में कहा। संत कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी साँस लेकर कहा— "तुम संतान की इच्छा रखती हो पर थोड़ी देर पहले जब एक भूखा बच्चा तुमसे चार चने माँग रहा था, तब तुम्हारा हृदय क्यों नहीं पिघला? तुम्हारी आँखों में उसके लिए करुणा क्यों नहीं जगी? तुमने उसे एक भी चना देने से इनकार कर दिया। बताओ, जब तुम्हारे भीतर ममता का स्रोत ही सूख रहा है, तो ईश्वर वहाँ नए जीवन का वरदान कैसे देगा?"

महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा-सा प्रसंग उसके भीतर छिपी कड़वाहट को उजागर कर देगा।

संत चिदंबरम् आगे बोले— "माँ बनने का पहला गुण देने की क्षमता है, देवी। जो दूसरों के बच्चों के लिए करुणा नहीं रखती, वह जन्मे हुए बच्चे को कैसे पाल सकेगी? मातृत्व केवल गर्भ से नहीं आता—वह दिल से जन्म लेता है। ममता किसी एक बच्चे की नहीं होती, वह हर छोटे जीव में ईश्वर को देखती है। जिस मन में करुणा नहीं, वहाँ ईश्वर का वरदान नहीं ठहरता।"

महिला की आँखों से आँसू टूट पड़े। उसने समझ लिया कि समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर थी।

संत का स्वर और भी कोमल हो गया— "जाओ, अपने भीतर ममता जगाओ। किसी भी बच्चे को देखकर उसे अपना समझो। उसे दुलार दो, उसे स्नेह दो। और एक अनाथ बच्चे को अपना बनाओ। जो बच्चा ईश्वर ने घर नहीं दिया, तुम उसे घर दो। देखना, उसी पल तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। जिसके द्वार पर करुणा जन्म ले लेती है, वहाँ संतानों का अभाव कभी नहीं रहता।"

दंपति आश्रम से लौट आया पर उनके मन में संत के शब्दों की गूँज लगातार चलती रही। महिला हर दिन किसी न किसी बच्चे के संपर्क में आती—कभी मंदिर में भिक्षा माँगने वाले बच्चों को परोसकर खाना देती, कभी पड़ोस के बच्चों को प्यार से बुलाकर खिलाती। धीरे-धीरे उसके भीतर एक अदृश्य झरना खुल गया—ममता का, जो वर्षों से सूखा हुआ था।

कुछ महीनों बाद दंपति ने एक अनाथालय से एक छोटी बच्ची को गोद लिया। वह बच्ची बेहद शांत थी, उसकी आँखों में गहरी चमक थी, जैसे वह किसी नई दुनिया को पहचानने आई हो।

जब वे फिर संत चिदंबरम् के पास आए, तो वह बच्ची दोनों के बीच खिलखिला रही थी।

महिला ने बच्ची को संत के चरणों के पास बैठाकर कहा— "महाराज, यह हमारी बेटी है। आपने जो कहा, वही किया। अब लगता है कि मेरा हृदय पहली बार संपूर्ण हुआ है।" संत ने मुस्कुराकर बच्ची के सिर पर हाथ फेरा— "सच मातृत्व तो उसी दिन जन्म ले चुका था, जिस दिन तुमने अपने भीतर करुणा को जन्म दिया था। यह बच्ची तो बस ईश्वर का आशीर्वाद है, जो उन लोगों के घर आता है जिनकी गोद खाली नहीं, पर दिल भरा होता है।"

और उस क्षण आश्रम की हवा में जो शांति, जो गंध, जो आशीर्वाद फैला—वह किसी चमत्कार से कम नहीं था।

कामकाजी संस्कृति को मानवीय बनाने की पहल

लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने 'द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025' पेश किया। पहली बार कोई विधेयक उनके अपने 24×7 बजते फोन को चुप कराने की बात कर रहा था। यह निजी सदस्य विधेयक कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों-सांसदों को कार्य-समय के बाहर फोन कॉल, ई-मेल या किसी भी काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक संचार का जवाब देने से कानूनी रूप से पूरी तरह मुक्त करता है। यह प्रस्ताव करोड़ों थके-हारे कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की चैन की नींद के लिए आवाज़ है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में उल्लेख है कि कार्य-समय के बाद अवकाश के दौरान नियोक्ता कर्मचारी से काम का संचार करने का दबाव नहीं डाल सकेगा। उल्लंघन पर संगठन के कुल वार्षिक वेतन बिल का एक प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। एक नई 'एम्प्लॉयी वेलफेयर अथॉरिटी' प्रावधान होगा, जो डिस्कनेक्ट पॉलिसी लागू करवाएगी, डिजिटल डिटॉक्स सेंटर चलाएगी और काउंसलिंग मुहैया कराएगी। हर कंपनी को साल में कम से कम एक बार अपनी डिस्कनेक्ट पॉलिसी की समीक्षा करनी होगी। साथ ही, कर्मचारी यूनियन या प्रतिनिधियों से लिखित सहमति लेनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय औसतन 2,277 घंटे सालाना काम करते हैं—जापान से 600 घंटे और जर्मनी से 900 घंटे अधिक। नैसकॉम के सर्वे में 62 प्रतिशत आईटी कर्मचारियों ने माना कि उन्हें रात दस बजे के बाद भी काम के मैसेज आते हैं। सीईडीए-सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि बर्नआउट की वजह से हर साल 46 प्रतिशत युवा कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं। एक आरटीआई जवाब में खुलासा हुआ कि 2020-2024 के बीच केंद्रीय सचिवालय के अठारह कर्मचारियों ने अत्यधिक कार्य-दबाव के कारण आत्महत्या की।

सांसदों-विधायकों की स्थिति भी दयनीय है। एक सांसद के फोन में औसतन 300-400 वॉट्सएप ग्रुप होते हैं। रात दो बजे भी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार लगा दे तो जवाब देना 'राजनीतिक मजबूरी' बन जाता है। सुप्रिया सुले ने स्वयं स्वीकार किया कि वे रात में फोन साइलेंट नहीं कर पातीं।

सुप्रिया सुले का यह दूसरा प्रयास है। वर्ष 2019 में भी उन्होंने विधेयक पेश किया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने चार नए श्रम संहिता लागू किए, लेकिन उनमें 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का कोई उल्लेख नहीं है। उल्टे ओवरटाइम की सीमा बढ़ा दी गई। इसी सत्र में शशि थरूर, मनीष तिवारी और कनिमोझी ने भी काम के घंटे और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विधेयक पेश किए हैं। वर्ष 2024 में केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 'शाम छह बजे के बाद नो वॉट्सएप' का सर्कुलर जारी किया था, पर अफसरों के विरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा। तेलंगाना और कर्नाटक के आईटी हब और कुछ स्टार्टअप्स ने स्वेच्छा से 'इवनिंग डिस्कनेक्ट पॉलिसी' शुरू की है। भारत की 92 प्रतिशत श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र और छोटे-मध्यम उद्योगों में है, वहां न्यूनतम मज़दूरी भी मुश्किल से मिलती है। यहां तो डिस्कनेक्ट का सवाल ही नहीं उठता।

फ्रांस ने वर्ष 2017 में सबसे सख्त कानून बनाया और 50 से अधिक कर्मचारियों वाली हर कंपनी को डिस्कनेक्ट पॉलिसी अनिवार्य की। बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया (2024) ने भी इसे कानूनी अधिकार बना दिया। इन देशों से तीन बड़ी सीखें हैं– पहली, कानून से ज़्यादा प्रवर्तन तंत्र मायने रखता है। दूसरी, छोटे उद्यमों को शुरुआती छूट और ट्रेनिंग ज़रूरी है। तीसरी, जुर्माना कंपनी के टर्नओवर से जोड़ा जाए ताकि छोटी कंपनियां दिवालिया न हो जाएं–ऑस्ट्रेलिया ने यही किया।

भारत के लिए आगे तीन रास्ते संभव हैं। पहला, इस विधेयक को सरकारी विधेयक बनाकर श्रम संहिता-2020 में संशोधन के रूप में लाया जाए। दूसरा, शुरुआत में इसे सरकारी क्षेत्र और 250 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ही लागू किया जाए। तीसरा, फ्रांस की तर्ज पर हर कंपनी को अपना 'डिस्कनेक्ट चार्टर' बनाने को बाध्य किया जाए, जिसमें कर्मचारी प्रतिनिधि भी शामिल हों।

सुप्रिया सुले का यह विधेयक अगर स्थायी समिति को भेजा जाता है तो उसके पास मौका होगा कि वह भारत के कामकाजी संस्कृति को वाकई मानवीय बनाए। यह नींद, परिवार, स्वास्थ्य और सम्मान की बात है। इंसान को यह अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि वह रात में चैन की नींद सो सके। अगर यह कोशिश कानून बन गई तो भारत की करोड़ों थकी आंखों के लिए यह सबसे बड़ा तोहफा होगा।

अभियान

जब प्रकृति ने मनुष्य को अदृश्य रक्षा-यंत्र दिया

कहते हैं हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरी वजह होती है। कोई तर्क, कोई अनुभव, कोई ऐसा सत्य जो पीढ़ियों से गुजरते-गुजरते एक मान्यता बन जाता है। आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो सिर्फ नींबू-मिर्च की नहीं, बल्कि एक दादी की अंतर-दृष्टि, अनुभव और प्रेम की भी कहानी है।

एक पुराने गाँव में अन्नपूर्णा नाम की एक दादी रहती थीं। उनका घर मिट्टी का था, बड़ा-सा आँगन था, तुलसी चौरा था और बाहर की दीवार पर हमेशा एक ताज़ा नींबू-मिर्च की माला लटकती रहती थी। उनके घर में कभी कोई बीमारी नहीं फैलती थी, बच्चे हमेशा खुश रहते थे और घर में ऐसी शांति थी कि लोग कहते— "अन्नपूर्णा दादी के घर को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती।"

गाँव के बच्चे अक्सर पूछते—

"दादी, ये नींबू-मिर्च क्यों टांगती हो? इससे क्या होता है?"

दादी मुस्कुरातीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आ

जाती। एक दिन उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा—

"आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताती हूँ पर कहानी सुननी होगी।"

बच्चे तुरंत उनके पास गोल घेरा बनाकर बैठ गए।

दादी ने कहना शुरू किया—

"बहुत साल पहले, इस गाँव में एक परिवार रहता था— बहुत खुश, बहुत प्रेम से भरा हुआ। लेकिन गाँव भर में उनकी खुशहाली की खूब चर्चा होने लगी। लोग उनकी अच्छाई की तारीफ करते, पर कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगे। धीरे-धीरे उनके घर में अजीब घटनाएँ होने लगीं— बच्चा बीमार पड़ जाता, दूध फटने लगता, गाय दूध देना बंद कर देती, रात को अजीब आवाजें आतीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके घर की खुशियाँ क्यों सूखने लगीं।"

एक दिन वह परिवार एक साधु के पास गया। साधु ने घर जाकर चारों ओर देखा और खिड़की पर जम चुकी धूल को हाथ से छूते हुए कहा—

"तुम्हारे घर पर किसी की तीखी जलन है। नजर का असर गहरा है। इसे काटना होगा।"

साधु ने नींबू और हरी मिर्च मंगवाई और कहा—

"जहाँ नींबू शुद्ध ऊर्जा लाता है, वहीं मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है। इसे दरवाजे पर टांग दो, जितनी भी बुरी नजरें हैं, ये सबको अपने अंदर सोख लेगा।"

परिवार ने साधु की बात मान ली। अगले ही दिन से माहौल बदलने लगा— बच्चा स्वस्थ होने लगा, गाय फिर दूध देने लगी, घर में अजीब आवाजें बंद हो गईं।

लोगों ने देखा कि वह नींबू धीरे-धीरे सूख जाता था, मिर्च काली पड़ जाती थी, जैसे किसी ने सारी नकारात्मकता उसमें भर दी हो।

दादी यहाँ थोड़ी देर थमीं, फिर बोलीं—

"जब मैं जवान थी और घर में तुम्हारे दादाजी बीमार पड़े थे, तब एक वृद्ध जनजातीय महिला ने भी यही उपाय बताया था। उसी दिन से मैंने इसे अपनाया और तब से घर में किसी की नजर नहीं लगी। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा ज्ञान है।"

फिर उन्होंने बच्चों को वैज्ञानिक बात भी समझाई—

"नींबू में प्राकृतिक अम्ल होते हैं जो हवा में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं को कमजोर कर देते हैं। मिर्च जब हवा से टकराती है तो उसकी हल्की तीखी गंध कीड़े-मकोड़ों को दूर रखती है। पुराने लोग ये बातें साबित नहीं कर सकते थे, पर ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आ गया था कि इस जोड़ी से वातावरण सुरक्षित रहता है।"

दादी ने आख़िर में कहा—

"पर बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम खुद अपने घर को पवित्र और सकारात्मक रखते हैं—

एक-दूसरे के लिए प्यार, दया और शुभभावना रखते हैं—

तो दुनिया की कोई बुरी नजर हमें छू नहीं सकती।"

उस दिन से बच्चों ने जाना कि नींबू-मिर्च सिर्फ एक चीज़ टांगना नहीं, बल्कि यह एक भाव है—

अपने घर की रक्षा करने का, उसे पवित्र बनाए रखने का, और नकारात्मकता को बाहर रखने का।

और अन्नपूर्णा दादी की ये कहानी, आज भी उनके गाँव में उतनी ही श्रद्धा से सुनाई जाती है जितनी पहली बार सुनाई गई थी।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

'सतर्कता हमारी संयुक्त जिम्मेदारी' के सूत्र के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- अधिकार से बाहर का नहीं लेना चाहिए; यह हमारी संस्कृति की विरासत के संस्कार हैं
- जो कार्य या ड्यूटी करें, उससे आत्मसंतोष हो; वही सच्ची कर्तव्यनिष्ठा
- भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) की छवि ऐसी हो कि गलत करने वाले को सतत भय रहे कि गलत हो ही नहीं

- उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति

- मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्री ने एसीबी में उत्तम कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों का तथा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध शिकायत कर उन्हें गिरफ्तार करवाने वाले साहसी नागरिकों का सम्मान किया

- भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता अभियान में वक्तव्य एवं निबंध प्रतियोगिताओं के 12 विजेता छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए

- अनिवार्य सेवानवृत्ति के ऐतिहासिक आँकड़े मृदु एवं दृढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आक्रामक रुख दर्शाते हैं : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर गुजरात राज्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा गांधीनगर में आयोजित समारोह में कहा कि एसीबी किसी गरीब की सहायक होने का भाव उजागर करने के लिए कार्य करने वाला विभाग है। श्री पटेल ने कहा कि हम जो कार्य करें या ड्यूटी निभाएँ, उससे आत्मसंतोष हो; ऐसी हमारी कर्तव्यनिष्ठा हो, जिससे यह भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाना ही न पड़े। उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ वातावरण निर्मित करने की भी प्रेरणा दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में आयोजित समारोह में एसीबी में उत्तम कार्य करने वाले लगभग 10 कर्मचारियों-अधिकारियों का सम्मान किया। इतना ही नहीं; किसी न किसी कार्य के लिए रिश्वत मांगने वाले भ्रष्टाचारी अधिकारियों का पर्दाफाश कर एसीबी में उनके विरुद्ध आवाज उठा कर तथा शिकायत कर उन्हें गिरफ्तार करवाने वाले 4 साहसी नागरिकों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत सतर्कता सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध एवं वक्तव्य प्रतियोगिताओं के विजेता 12 छात्रों को प्रमाणपत्र भी इस अवसर पर प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकास भी, विरासत भी' का मंत्र हमें दिया है। हम दिन-प्रतिदिन विकास करते जा रहे हैं। उसके साथ हम 'अधिकार से बाहर का नहीं लेना चाहिए' की हमारी संस्कार विरासत को भी बनाए रखें और हमारे कार्य में ही आत्मसंतोष खोजें।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं ही किया जा सकता। इस जीरो टोलरेंस की प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत के लिए कार्यरत हैं। हमें विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात बनाने में अग्रसर रहना है और इसके लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात के निर्माण क लिए एसीबी कड़ाई से पेश आए।

उन्होंने एसीबी द्वारा भ्रष्टाचारियों को पस्त किए जाने के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि एसीबी की ऐसी कड़ी एवं सतर्क छवि बनाएँ कि गलत करने वाले को सतत भय रहे कि कुछ गलत हो ही नहीं। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और गुजरात की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा राजमहल छोड़कर किए गए वनवास तथा लुटेरे वाल्मीकि से ऋषि वाल्मीकि होने के कर्मयोग भाव के उदाहरण भी मार्मिक ढंग से समझाए।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने समाज व्यवस्था में भ्रष्टाचाररूपी दीमक को कंट्रोल में रखने का कार्य करने वाले एसीबी की समग्र टीम को अभिनंदन देते हुए कहा कि गुजरात की एसीबी टीम ने किसी भी प्रकार के क्लास, कैडर या अधिकारी जैसे लेवल को देखे बिना यानी केवल छोटे लोगों को ही नहीं, बल्कि प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे भ्रष्टाचारियों को भी पकड़कर साहस के साथ कड़ी कार्रवाई की है। पिछले तीन वर्ष में 34 क्लास वन तथा 98 क्लास टू अधिकारियों के विरुद्ध जाल बिछाकर करप्शन के केस दर्ज किए गए हैं। चालू वर्ष में 194 केस दर्ज किए गए हैं और 277 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री के मृदु एवं दृढ़ स्वभाव का उल्लेख कर राज्य में चले ऑपरेशन गंगाजल का हवाला देते हुए श्री संघवी ने जोड़ा कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आक्रामकता तथा जीरो टोलरेंस की नीति से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अत्यंत दृढ़ता से कदम उठा रहे हैं। अनिवार्य (बाध्य) सेवानिवृत्ति के ऐतिहासिक आँकड़े इसके साक्षी हैं।

उप मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी के अधिकतम् उपयोग पर बल देते हुए कहा कि एसीबी की टीम टेक्नोक्रेट है। इस टीम द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों तथा उन पर कार्रवाई के लिए एआई सहित और भी विभिन्न आधुनिक टेक्नोलॉजी का अधिकतम् उपयोग किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि आज जब समग्र विश्व में एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, तब भ्रष्टाचार केवल भारत की समस्या नहीं है, अपितु यह अंतरराष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार देश के विकास में बहुत बड़ा अवरोध बनता है, जिसके गरीब नागरिकों को बहुत परेशानियाँ होती हैं।

श्री दास ने जोड़ा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सुझाव है कि यूनिटी विजिलेंस से प्रिवेंटिव विजिलेंस अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में गुजरात सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं; जिसमें सरल नियम, बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राजस्व कानूनों में फेरबदल शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते हुए एसीबी निदेशक श्री पीयूष पटेल ने कहा कि पिछले दो महीनों में एसीबी द्वारा सतर्कता जागृति सप्ताह अंतर्गत राज्य के अलग-अलग स्कूलों में 'भ्रष्टाचार – देश के विकास में अवरोधक परिबल', 'जागृत नागरिक – विकसित देश' जैसे विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 'जागरूकता, पारदर्शिता एवं प्रामाणिकता मेरी नजर में' और 'मैं एक प्रामाणिक अधिकारी' जैसे विषयों पर वक्तव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लिए जाने के कार्यक्रम किए गए। इसके अलावा; जन जागृति के अंतर्गत नुक्कड़ नाटकों, मैराथन दौड़ का आयोजन तथा एसीबी की हेल्पलाइन 1064 के पैम्फ्लेट का व्यापक प्रचार किया गया। इस अवसर पर गुजरात सतर्कता आयोग की आयुक्त श्री संगीता सिंह, सीआईडी क्राइम एंड रेलवे डीजीपी डॉ. के. एल. एन. राव, एनएफएसयू के उप कुलपति डॉ. जे. एम. व्यास, एसीबी के अधिकारी, कर्मचारी, जागरूकता दर्शाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने वाले नागरिक तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पूर्वोत्तर रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-पिपहरी डीह-दुल्लहपुर सेक्शन में पेच डबलिंग कमीशनिंग और मऊ-खुरहट प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अहमदाबाद मण्डल की कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

आंशिक निरस्त ट्रेनें

16 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी तथा वाराणसी - गोरखपुर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

17 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन से ऑरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी तथा गोरखपुर - वाराणसी स्टेशन के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल/रेगुलेट ट्रेनें

17 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस अहमदाबाद से 4 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

9, 10 और 11 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्ग में 50 मिनट रेगुलेट (विलंब) होगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेन

15 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औंडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज और अयोध्या केंट स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

10,13 और 15 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19166 दरभंगा-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औंडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज, आजमगढ़, मऊ और बलिया स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

ट्रेनों के परिचालन, समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे पर ब्लॉक के कारण बांद्रा टर्मिनस - गोरखपुर ट्रेन प्रभावित

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे में मऊ – पिपरी डीह – दुल्लहपुर स्टेशनों और मऊ - खुरहट स्टेशनों पर पैच डबलिंग के काम को शुरू करने के लिए चल रहे काम को देखते हुए, 06 से 18 दिसंबर, 2025 तक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण, ट्रेन संख्या 19091/19092 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर एक्सप्रेस प्रभावित होगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

15 दिसंबर, 2025 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19091 बांद्रा टर्मिनस - गोरखपुर एक्सप्रेस, वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इसलिए, यह ट्रेन

वाराणसी और गोरखपुर स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

इसी प्रकार, 16 दिसंबर, 2025 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19092 गोरखपुर – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, वाराणसी स्टेशन से ओरिजिनेट होगी। इसलिए, यह ट्रेन गोरखपुर और वाराणसी स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

श्री आशीष वर्मा ने पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया

(जीएनएस)। श्री आशीष वर्मा, भारतीय रेल भंडार सेवा (IRSS) के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी ने 08 दिसम्बर, 2025 को पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व आप रेल व्हील फैक्ट्री, बेंगलुरु में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा, आप मार्च, 2019 से जुलाई, 2022 तक पश्चिम रेलवे में मुख्य सामग्री प्रबंधक के पद पर भी सेवाएँ दे चुके हैं।

श्री वर्मा को भारतीय रेल में सार्वजनिक खरीद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा सतर्कता के क्षेत्र में 33 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। अपने गौरवपूर्ण कार्यकाल के दौरान आपने उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे,

पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे तथा रेल व्हील फैक्ट्री सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। सामग्री प्रबंधन तथा खरीद प्रक्रियाओं में आपकी गहन व्यावसायिक दक्षता एवं प्रशासनिक क्षमता के लिए आप व्यापक रूप से सम्मानित हैं।

आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक किया है तथा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। आपने नॅशनल अकैडमी ऑफ इंडियन रेलवे (NAIR), पूर्व रेलवे स्टाफ कॉलेज/वड़ोदरा; आईएनएसईएडी/सिंगापुर; आईसीएलआईएफ़/मलेशिया; आईएसबी/हैदराबाद; आईआईएम/लखनऊ; आईआरआईएलएमएम आदि प्रतिष्ठित संस्थानों में कई व्यावसायिक एवं प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिसने आपके क्षेत्रीय ज्ञान एवं नेतृत्व कौशल को और सुदृढ़ किया है।

अजमेर–मदार सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19269) परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर–मदार (AII–MDJN) सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 44 पर आर.यू.बी. के लिए LHS (लोअरिंग ऑफ हाई स्पीड) कार्य किए जाने हेतु दिनांक 11 व 12 दिसंबर, 2025 को ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक का प्रभाव पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल की ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पर पड़ेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 11 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को पोरबंदर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली पोरबंदर–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19269) को उपरोक्त ब्लॉक के कारण दौराई–मदार जंक्शन बायपास लाइन के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस अवधि में यह ट्रेन अजमेर स्टेशन पर नहीं जाएगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए दौराई एवं मदार जंक्शन स्टेशनों पर इस ट्रेन को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व ट्रेन की नवीनतम स्थिति की जानकारी के लिए भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in, NTES ऐप अथवा 139 हेल्पलाइन पर अवश्य संपर्क करें।

श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई,नई ट्रेन से तीर्थ पर्यटन, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा

क्षेत्रों और संस्कृतियों के जोड़ती है देश की जीवन रेखा भारतीय रेल: वी सोमन्ना

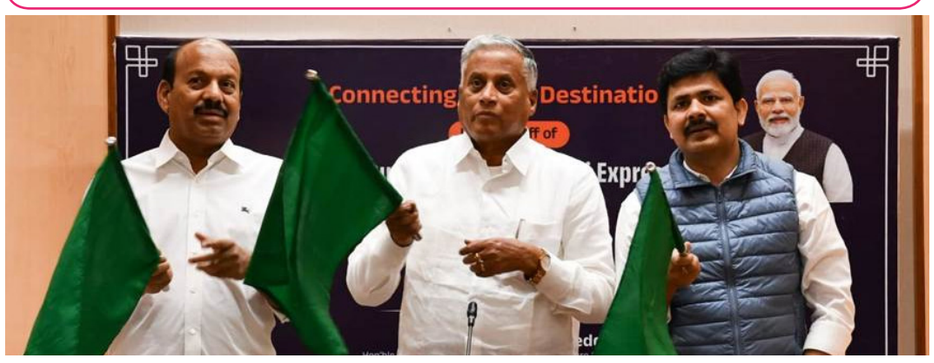

(जीएनएस)। रेल और जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस का आज नई दिल्ली स्थित रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ किया।

तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस शुरू किए जाने से कई दूरगामी लाभ होंगे। इससे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क को काफी मजबूती मिलेगी। यह श्रद्धालुओं के लिए आंध्र प्रदेश की दक्षिण तटीय पट्टी से शिरडी के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा है। यह ट्रेन भारत के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों, तिरुपति और शिरडी को सीधे जोड़ कर तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी। इस नई ट्रेन से इसके मार्ग में तीर्थ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा यह क्षेत्रीय विकास में सहायक होगी। यह यात्रियों को सुरक्षित, आरामदेह और निर्बाध अंतरराज्यीय यात्रा का विकल्प मुहैया कराएगी। इससे तीर्थयात्रियों के समग्र रेल यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। इस साप्ताहिक ट्रेन से तीर्थयात्री निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन को एक तरफ की यात्रा पूरी करने में लगभग 30 घंटों का समय लगेगा।

श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस के शुभारंभ को चार राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं है। यह देश की जीवन रेखा के रूप में क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ती भी है।

रेल और जल शक्ति राज्यमंत्री ने कहा कि अब तिरुपति और शिरडी सीधी ट्रेन सेवा से जुड़ गए हैं। यह ट्रेन नेल्लोर, गुंटूर, सिकंदराबाद, बीदर और मनमाड़ समेत 31 महत्वपूर्ण स्थानों पर रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से तीर्थ पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने के साथ ही इसके मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और सिकंदराबाद से सीधी कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। अपने मार्ग में यह एक महत्वपूर्ण शैव मंदिर परली वैजनाथ को भी जोड़ेगी।

श्री वी सोमन्ना ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 2014 से रेल अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साझा औसत रेल बजट 886 करोड़ रुपए का था। यह 11 गुना बढ़ कर 2025-26 में 9417 करोड़ रुपए का हो गया। राज्य में 93000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम जारी है। आंध्र प्रदेश में 2014 से अब तक 1580 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गईं और 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा किया गया। राज्य में वर्तमान में 73 अमृत स्टेशन हैं। श्री सोमन्ना ने 800 फ्लाईओवरों और पुलों के निर्माण, 110 लिफ्ट और 40 एस्केलेटर लगाए जाने तथा 16 वंदे भारत (8 जोड़ी) और 6 अमृत भारत (3 जोड़ी) ट्रेन सेवाओं की शुरुआत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे तिरुपति में तिरुपति अमृत स्टेशन समेत 312 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। प्रमुख जारी परियोजनाओं में तिरुपति-पकाला-कटपड़ी मार्ग पर 105 किलोमीटर का दोहरीकरण 1215 करोड़ रुपए के खर्च से किया जा रहा है। कुल 83 किलोमीटर की गुडूर-रेनिगुंटा तीसरी लाइन पर 875 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नादिकुड़ी-श्रीकालाहस्ती 310 किलोमीटर नई लाइन पर 5900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा, 287 किलोमीटर की विजयवाड़ा-गुडूर तीसरी लाइन पर 6235 करोड़ रुपए और 25 किलोमीटर की येरपेडु-पुडी बाईपास लाइन पर 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

आंध्र प्रदेश के सड़क और भवन तथा अवसंरचना और निवेश मंत्री श्री बीसी जनार्दन रेड्डी ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में हिस्सा लिया। इसमें उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में तिरुपति के सांसद डॉ मदिला गुरुमूर्ति, विधान परिषद सदस्य श्री बी कल्याण चक्रवर्ती, तिरुपति से विधानसभा सदस्य श्री ए श्रीनिवासुलु तथा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड के सदस्य श्री भानु प्रकाश रेड्डी भी शामिल थे।

पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से नवम्बर, 2025 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से प्राप्त किया लगभग ₹140 करोड़ रुपये का जुर्माना

एसी उपनगरीय लोकल से 2.40 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अपने पूरे नेटवर्क पर व्यापक और सतत टिकट जांच अभियान निरंतर चला रही है। राजस्व हानि रोकने और यात्रा अनुशासन को सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, पश्चिम रेलवे के टिकट जांच स्टाफ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में सराहनीय एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों के सक्रिय मार्गदर्शन में अत्यंत प्रेरित टिकट जांच स्टाफ ने मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर सेवाओं तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में कठोर जांच अभियान चलाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य राजस्व लीकेज को न्यूनतम करना और यात्रा अनुशासन को मजबूत बनाना रहा है।

अप्रैल से नवम्बर, 2025 की अवधि में, 21.70 लाख से अधिक बिना टिकट/अनियमित यात्रियों का पता लगाया गया, जिसमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप लगभग 140 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 50% अधिक है। नवम्बर, 2025 के दौरान ही 2.80 लाख से अधिक बिना टिकट/अनियमित यात्रा के मामलों का पता लगाकर 18.25 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे द्वारा एसी उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी केंद्रित जांच अभियान चलाए गए। सामान्य टिकटधारकों द्वारा अनधिकृत यात्रा रोकने हेतु बार-बार औचक जांच की गई। अप्रैल से नवम्बर, 2025 के दौरान एसी लोकल सेवाओं में लगभग 75 हजार दंडात्मक मामलों का पता लगाकर 2.40 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 85% वृद्धि को दर्शाती है।

श्री विनीत ने आगे बताया कि टिकट जांच एक सतत जिम्मेदारी है, जिसमें कुशलता और विनम्रता दोनों आवश्यक हैं, और पश्चिम रेलवे को अपने समर्पित टिकट जांच स्टाफ पर गर्व है। ऐसे ही एक टिकट जांच स्टाफ सदस्य श्री अशुतोष कुमार सिंह, जो मुख्यालय, चर्चगेट स्थित फ्लाइंग स्क्वाड में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। नियमों एवं प्रक्रियाओं की उत्कृष्ट जानकारी के साथ, उन्होंने पिछले 18 वर्षों में लगातार उल्लेखनीय उत्साह और समर्पण के साथ कार्य किया है। जनवरी, 2025 से नवम्बर, 2025 तक मात्र 11 महीनों में उन्होंने 9200 से अधिक मामलों का पता लगाकर लगभग 1.08 करोड़ रुपये की अब तक की सर्वाधिक वसूली की है। उनका दैनिक औसत संग्रह लगभग 40,000 और प्रतिदिन औसतन 34 मामलों का पता लगाने का है। विशेष रूप से, 18 अक्टूबर, 2025 को उन्होंने एक ही दिन में 150 से अधिक मामलों का पता लगाकर 2.24 लाख रुपये की सर्वोच्च एकदिवसीय वसूली की, जो टिकट जांच स्टाफ के लिए प्रेरणादायक मानक स्थापित करती है।

पश्चिम रेलवे आम जनता से अपील करता है कि कृपया उचित एवं वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें।

चूरू – सादुलपुर खंड में ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के चूरू – आसलु – दूधवा खारा स्टेशनों के मध्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य के लिए जनवरी 2026 में ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी तथा कुछ को रेगुलेट किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:

1. 20 से 22 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस – श्री गंगानगर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सादुलपुर–लोहारू–सीकर के रास्ते चलाई जाएगी तथा नवलगढ़, झुंझुनू और लोहारू स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
2. 20 से 23 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14701 श्री गंगानगर – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सीकर – लोहारू – सादुलपुर के रास्ते चलाई

जाएगी तथा लोहारू, झुंझुनू और नवलगढ़ स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

3. 22 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04712 बांद्रा टर्मिनस – बीकानेर स्पेशल परिवर्तित मार्ग जयपुर – बीकानेर के रास्ते चलाई जाएगी तथा फुलेरा, मकराना, डेगाना, नागौर और नोखा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
4. 21 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04711 बीकानेर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल परिवर्तित मार्ग बीकानेर – जयपुर के रास्ते चलाई जाएगी तथा नोखा, नागौर, डेगाना, मकराना और फुलेरा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
5. 22 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19271 भावनगर टर्मिनस – हरिद्वार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मेड़ता रोड – बीकानेर – बठिंडा – धुरी के रास्ते चलाई जाएगी तथा नागौर, नोखा, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और बठिंडा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।
6. 21 एवं 24 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19272 हरिद्वार – भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग धुरी – बठिंडा – बीकानेर – मेड़ता रोड के रास्ते चलाई जाएगी तथा बठिंडा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, नोखा और नागौर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1. 03 से 17 जनवरी, 2026 (3 ट्रिप) को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19027 बांद्रा टर्मिनस – जम्मू तवी एक्सप्रेस मार्ग में चूरू स्टेशन पर 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी।
2. 05 से 19 जनवरी, 2026 (3 ट्रिप) को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22915 बांद्रा टर्मिनस – हिसार एक्सप्रेस मार्ग में चूरू स्टेशन पर 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

'अंत्योदय' के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

झोंपड़ी बिजलीकरण योजना : राज्य सरकार ने 10 लाख से अधिक गरीबों के जीवन में फैलाया उजाला

▸▸ पिछले 5 वर्ष में 8,499 लाख रुपए की लागत से 1,52,466 झोंपड़ियों का मुफ्त बिजलीकरण, 2025-26 के लिए 1,617 लाख रुपए का प्रावधान

▸▸ वार्षिक आय सीमा पिछले एक दशक में 27 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात में झोंपड़ियों में रहने वाले गरीबों के घरों को प्रकाशमय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'झोंपड़ी बिजलीकरण योजना' (झूंपडा वीजळीकरण योजना) लागू है। इस योजना के अंतर्गत झोंपड़ियों में रहने वालों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं। पिछले 5 वर्ष में इस योजना अंतर्गत 8,499 लाख रुपए की लागत से 1,52,466 झोंपड़ियों का मुफ्त बिजलीकरण कर गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाया गया है। इतना ही नहीं; संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में विख्यात श्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 1,617 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान किया है। साथ ही; योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें; इसके लिए लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा 1.50 लाख रुपए तक की गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में विद्युत आपूर्ति से जुड़े जो सुधारात्मक कदम उठाए थे, उस परंपरा को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उनकी सरकार भी सुचारु रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में झोंपड़ियों में रह रहे गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

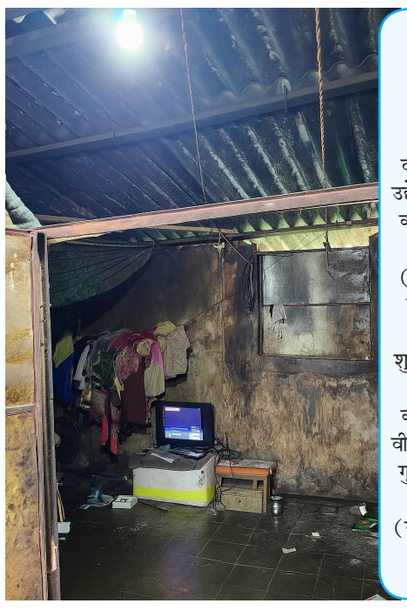

क्या है झोंपड़ी बिजलीकरण योजना ?

राज्य के ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीनस्थ यह झोंपड़ी बिजलीकरण योजना वर्ष 1996-97 से लागू की गई है। योजना का उद्देश्य गरीब झोंपड़ीवासियों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना है। झोंपड़ी बिजलीकरण योजना का क्रियान्वयन पूर्व में गुजरात विद्युत मंडल (जीईबी) द्वारा किया जाता था, परंतु 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली सुधारों की श्रृंखला शुरू की और जीईबी का पुनर्गठन करते हुए चार विद्युत वितरण कंपनियों दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (डीजीसीएल), मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल), पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) तथा उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) का गठन किया। तब से झोंपड़ी बिजलीकरण योजना का क्रियान्वयन ये चार विद्युत वितरण कंपनियाँ कर रही हैं।

अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए बढ़ाई गई आय सीमा

ऊर्जा विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार झोंपड़ी बिजलीकरण योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों और बीपीएल सूची में असमाविष्ट गरीबों को भी बिना किसी जातिगत भेदभाव के दिया जाता है। योजनांतर्गत कोई भी बीपीएल या अन्य गरीब परिवार अपनी झोंपड़ी में निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक गरीब योजना का लाभ ले सकें; इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने समय-समय पर वार्षिक आय सीमा में वृद्धि की है। यही कारण है कि वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने ग्रामीण झोंपड़ीवासियों के लिए 47 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपए तक तथा शहरी झोंपड़ीवासियों के लिए 68 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपए तक की आय सीमा निर्धारित की, जबकि इससे पहले यह आय सीमा क्रमशः ग्रामीण के लिए 27 हजार से 47 हजार रुपए तक तथा शहरी के लिए 35 हजार से 47 हजार रुपए तक ही थी। आय सीमा का दायरा बढ़ाने से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा अधिक से अधिक गरीबों के घरों में उजाला फैलाने में सफलता प्राप्त हुई।

अब तक 10 लाख से अधिक झोंपड़ी बिजलीकरण

राज्य सरकार ने झोंपड़ी बिजलीकरण योजना अंतर्गत अब तक (नवंबर-2025) 10 लाख 9 हजार 736 झोंपड़ियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया है, जिसमें पिछले पाँच वर्ष में 1 लाख 52 हजार 466 झोंपड़ियों का बिजलीकरण हुआ है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में इस योजना अंतर्गत 1,617.03 लाख रुपए की लागत से 25 हजार 939 झोंपड़ीवासियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर उनके जीवन को रोशन किया है। इतना ही नहीं; मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गरीबों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए अगले वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए भी 1,617 लाख रुपए के खर्च का प्रावधन किया है, जिससे राज्य के अधिक से अधिक गरीब झोंपड़ीवासियों के घरों में बिजली का उजाला पहुँच सके और उनके जीवन स्तर में सुधार आए तथा ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि हो।

कैसे लिया जा सकता है योजना का लाभ ?

झोंपड़ी बिजलीकरण योजना का ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग के अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य स्तर पर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के मुख्य अभियंता (टेक) द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। निर्धारित आय सीमा वाले बीपीएल या अन्य गरीब लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को तहसील विकास अधिकारी/तहसील पंचायत कार्यालय में, जबकि शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को नगर पालिका/म्युनिसिपालिटी कार्यालय में आवेदन देना होता है। पंजीकृत आवेदनों की सूची सम्बद्ध विद्युत वितरण कंपनियों के सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाती है और उसके बाद आवश्यक मानदंड पूर्ण करने वाले आवेदकों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं।

जस्टिस स्वामीनाथन पर विपक्ष का महाभियोग दांव

नई दिल्ली में मंगलवार का दिन राजनीतिक हलचल से भरा रहा, जब विपक्षी दलों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के जज जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की मांग को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने औपचारिक रूप से रख दिया। इस नोटिस पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, और कई अन्य दलों के 120 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो इसे हाल के वर्षों में किसी जज के खिलाफ सबसे बड़े सामूहिक राजनीतिक कदमों में से एक बनाते हैं।

यह पूरा विवाद उस निर्णय से शुरू हुआ, जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु के एक दरगाह के निकट स्थित मंदिर में कार्तिगई दीपम जलाने से जुड़े मामले पर टिप्पणी की थी। विपक्ष का आरोप है कि उनके फैसले में न केवल तथ्यात्मक विसंगतियां थीं बल्कि उसमें कथित तौर पर साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री भी पाई गई, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विपरीत है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, और डीएमके के वरिष्ठ नेता टी. आर. बालू के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं का समूह लोकसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचा। मुलाकात के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि जज पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और संसद के सामने यह जिम्मेदारी है कि न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को लेकर किसी भी तरह का संदेह बना रहे, तो उसे दूर किया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि 'यह केवल किसी एक फैसले का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय के सिद्धांतों और अदालतों की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है।'

अहमदाबाद मण्डल रेलवे सुरक्षा बल के जून से नवंबर 2025 के दौरान उल्लेखनीय कार्य

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल का रेलवे सुरक्षा बल (RPF) यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा और स्टेशनों पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। जून से नवंबर 2025 के दौरान RPF ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाया। इस अवधि के प्रमुख कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

1. रेलवे अधिनियमः अहमदाबाद डिविजन ने रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 14,211 मामले दर्ज किए और इन अभियोजनों के दौरान 14,92,721 का जुर्माना वसूल किया। यह कार्रवाई स्टेशनों एवं ट्रेनों में अनुशासन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

2. ऑपरेशन नन्हे फ़रिश्तेः ऑपरेशन नन्हे फ़रिश्ते के तहत अहमदाबाद, साबरमती, मणिनगर, महेसाणा सहित अन्य स्टेशनों से 69 नाबालिग बच्चों और 8 असहाय पुरुष/महिलाओं को बचाकर उनके माता-पिता, अभिभावक, चाइल्डलाइन या पुलिस को सुरक्षित सौंपा गया। मानवता से जुड़े इस कार्य ने RPF की संवेदनशीलता और तत्परता को उजागर किया।

3. ऑपरेशन अमानतः ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत 211 लावारिस या खोए हुए सामान, जिनकी कुल कीमत 62,98,194 थी, RPF द्वारा बरामद कर यात्रियों को लौटाए गए।

4. ऑपरेशन सतर्कः अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन सतर्क में अहमदाबाद, साबरमती तथा कांकरिया यार्ड में 4,26,428 मूल्य की अवैध शराब के 47 मामले पकड़े गए और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर GRP को सौंपा गया। यह अभियान रेलवे परिसरों में सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ।

5. रेल मददः Rail Madad पर प्राप्त 2,825 शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। इन शिकायतों का औसत निस्तारण समय मात्र 0.06 मिनट रहा, जो RPF की दक्षता और त्वरित सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राप्त 973 फीडबैक में से 898 यात्रियों ने उत्कृष्ट या संतोषजनक रेटिंग दी।

6. ऑपरेशन रेल सुरक्षाः रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए RP(UP) एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 22 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 21 मामलों का सफलतापूर्वक पता लगा कर 46 बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

7. ऑपरेशन यात्री सुरक्षाः यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए RPF ने चोरी और अन्य अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की। यात्रियों के सामान चोरी के मामलों में 8 आरोपियों को पकड़ा गया और उन्हें GRP के हवाले किया गया। इसके अलावा BNS की विभिन्न धाराओं के 36 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

8. CCTV के माध्यम से सफलताः अहमदाबाद स्टेशन पर CCTV निगरानी का प्रभावी उपयोग करते हुए चोरी के 10 मामलों का पता लगाया गया, जिससे अपराध नियंत्रण में तकनीक की भूमिका और मजबूत हुई।

9. ऑपरेशन समय पालनः ट्रेनों की समयपालन क्षमता (punctuality) को सुधारने के लिए भी RPF ने प्रभावी अभियान चलाया। अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के 924 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 859 मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन किया गया।

10. जन जागरणः यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा संबंधी जागरूकता देने के लिए RPF ने नियमित रूप से जन-जागरण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें ट्रैक पार न करना, नशा मुक्ति, पत्थरबाजी रोकथाम, महिला सुरक्षा और मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई। स्टेशन पर PA सिस्टम, बैनर, पोस्टर और RDN स्क्रीन के माध्यम से भी संदेश प्रसारित किए गए।

11. ट्रेन एस्कॉर्टिंगः ट्रेन एस्कॉर्टिंग के क्षेत्र में अहमदाबाद डिविजन ने उल्लेखनीय कार्य किया। प्रतिदिन औसतन 20 महत्वपूर्ण रात की ट्रेनों में RPF जवान तैनात किए गए, जबकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन औसतन 7 मिश्रित (महिला+पुरुष) दल एस्कॉर्टिंग में लगाए गए। इससे रात के समय यात्रा कर रहे यात्रियों, विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा।

12. लेवल क्रॉसिंग गेट मामलेः रेलवे फाटक क्षति के 69 मामलों में से 64

गुजरात का 'ब्लू फ़्लैग शिवराजपुर बीच' बना वैश्विक "बीच टूरिज़्म" का नया प्रतीक, VGRC-2026 में कच्छ-सौराष्ट्र बनेंगे निवेश केंद्र

▸▸ शिवराजपुर बीचः गुजरात के "बीच टूरिज्म" का नया वैश्विक प्रतीक, ब्लू फ्लैग प्रमाणन ने बढ़ाई अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा

▸▸ शिवराजपुर बीच के आसपास 130 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होटल, एडवेंचर टूरिज़्म, सांस्कृतिक-अनुभवात्मक प्रोजेक्ट्स से बढ़ेंगे निवेश के अवसर

▸▸ VGRC, राजकोट में पहली बार कच्छ-सौराष्ट्र पर्यटन सर्किट का समग्र निवेश रोडमैप होगा पेश

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात का पर्यटन परिदृश्य आज एक नए वैश्विक मानक की ओर अग्रसर है, और इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है देवभूमि द्वारका स्थित शिवराजपुर बीच का अद्भुत कायाकल्प जो राज्य का पहला ग्लोबल ब्लू फ्लैग बीच बनने का गौरव प्राप्त कर चुका है। यह उपलब्धि न केवल गुजरात की तटीय सुंदरता को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला रही है, बल्कि राज्य में विश्वस्तरीय, टिकाऊ और आधुनिक पर्यटन अवसंरचना विकसित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'देखो अपना देश' विजन को साकार करते हुए, शिवराजपुर बीच का यह परिवर्तन घरेलू पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता तक पहुँचाने की गुजरात की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है जहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक बिना विदेश जाए विश्वस्तरीय समुद्र तट अनुभव का आनंद ले सकता है।

शिवराजपुर बीचः ब्लू फ़्लैग प्रमाणन के साथ गुजरात का नया वैश्विक तटीय गौरव

गुजरात की 2340 किमी लंबी तटरेखा पर स्थित शिवराजपुर बीच अपनी स्वच्छता, सुरक्षा और प्राकृतिक शांतिमय सौंदर्य के कारण देश-विदेश में पहले से ही विशिष्ट पहचान रखता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन ने इसे विश्वस्तरीय समुद्र तटों की श्रेणी में शामिल करते हुए एक प्रतिष्ठित गौरव प्रदान किया है। यह प्रमाणन न केवल पर्यावरणीय प्रबंधन और सुरक्षा मानकों का प्रमाण है, बल्कि गुजरात द्वारा विकसित की जा रही आधुनिक सुविधाओं और टिकाऊ तटीय अवसंरचना की सफलता का भी सशक्त संकेत है। गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (TCGL) द्वारा 130 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित यह मॉडल प्रोजेक्ट अब राज्य के पर्यटन क्षेत्र की नई पहचान बन चुका है। यही सफलता आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) राजकोट में केंद्र बिंदु बनने जा रही है, जहाँ कच्छ-सौराष्ट्र की तटीय और सांस्कृतिक बेल्ट में व्यापक निवेश अवसरों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है शिवराजपुरः निवेश और इवेंट टूरिज़्म का उभरता केंद्र

TCGL द्वारा तैयार की गई विकास परियोजनाओं में अत्याधुनिक अराइवल प्लाज़ा, स्नॉर्कलिंग प्लाज़ा, साइकिल ट्रैक, प्रोमेनेड, स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएँ शामिल हैं, साथ ही 11 किमी से अधिक लंबी नई सड़क ने इस तटस्थल तक पहुँच और बेहतर बना दी है। शिवराजपुर बीच को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने हेतु चेंजिंग रूम, शावर रूम, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी आवश्यक सुविधाएँ भी विकसित की गई हैं। आने वाले महीनों में प्रस्तावित "बीच फेस्टिवल" और विभिन्न थीम-आधारित तटीय आयोजनों की शुरुआत, शिवराजपुर को एक अंतरराष्ट्रीय तटीय इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने जा रही है। वहीं, द्वारका-ओखा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा द्वारका, बेट द्वारका और शिवराजपुर के एकीकृत पर्यटन क्षेत्र के लिए बनाई जा रही व्यापक योजनाएँ इस पूरे सर्किट को राज्य के प्रमुख निवेश और पर्यटन विकास केंद्र में परिवर्तित करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होंगी।

आगामी VGRC कच्छ-सौराष्ट्र के पर्यटन परिदृश्य में खोलेगा निवेश के नए स्वर्णिम द्वार

10, 11 और 12 जनवरी 2026 को राजकोट में होने जा रहा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) कच्छ-सौराष्ट्र पर्यटन सर्किट को केंद्र में रखते हुए प्रदेश के तटीय पर्यटन विकास के लिए एक निर्णायक मंच बनने जा रहा है। शिवराजपुर बीच का विश्वस्तरीय कायाकल्प इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन निवेश की अपार संभावनाओं का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है, जिसके आधार पर गुजरात सरकार निवेशकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने की तैयारी में है। VGRC सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के अग्रणी निवेशकों और रणनीतिक साझेदारों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे देवभूमि द्वारका में प्रीमियम कोस्टल रिसॉर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स और तटीय एडवेंचर प्रोजेक्ट्स, कच्छ-सौराष्ट्र में इको-टूरिज़्म और हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी, गिर क्षेत्र में वन आधारित पर्यटन तथा रण में सांस्कृतिक-अनुभवात्मक पर्यटन जैसे हाई-रिटर्न अवसरों में निवेश करें।

चांदी वायदा में 1326 रुपये की तेजीः सोना वायदा में 4 रुपये का सुधारः क्रूड ऑयल वायदा 19 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 27200.53 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 95428.73 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 20686.86 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 31260 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 122635.16 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 27200.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 95428.73 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 31260 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1634.1 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 20686.86 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 130045 रुपये के भाव पर खूलकर, 130288 रुपये के दिन के उच्च और 129101 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 129962 रुपये के पिछले बंद के सामने 4 रुपये या 0 फीसदी की मजबूती के साथ 129966 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 152 रुपये या 0.15 फीसदी बढ़कर 104215 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 2 रुपये या 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 13048 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 128893 रुपये के भाव पर खूलकर, 128990 रुपये के दिन के उच्च और 127833 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 46 रुपये या 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 128690 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 129095 रुपये के भाव पर खूलकर, 129252 रुपये के दिन के उच्च और 128140 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 129030 रुपये के पिछले बंद के सामने 30 रुपये या 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 129000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 182769 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 184163 रुपये और नीचे में 180100 रुपये पर पहुंचकर, 181742 रुपये के पिछले बंद के सामने 1326 रुपये या 0.73 फीसदी की तेजी के संग 183068

रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1383 रुपये या 0.76 फीसदी की तेजी के संग 183763 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1320 रुपये या 0.72 फीसदी बढ़कर 183753 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 3268.05 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 10.85 रुपये या 0.99 फीसदी घटकर 1086.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 2.25 रुपये या 0.72 फीसदी गिरकर 311.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 2.25 रुपये या 0.81 फीसदी औंधकर 276 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 60 पैसे या 0.33 फीसदी की नरमी के साथ 181.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3211.26 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5311 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5326 रुपये और नीचे में 5280 रुपये पर पहुंचकर, 19 रुपये या 0.36 फीसदी घटकर 5315 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 17 रुपये या 0.32 फीसदी गिरकर 5317 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 440.1 रुपये के भाव पर खूलकर, 440.2 रुपये के दिन के उच्च और 431.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 448.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 13.5 रुपये या 3.01 फीसदी की गिरावट के साथ 435.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 13.5 रुपये या 3.01 फीसदी घटकर 435.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 908.9 रुपये पर खूलकर, 80 पैसे या 0.09 फीसदी टूटकर 906 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9081.41 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 11605.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2654.80 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 224.13 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 40.59 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 348.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 548.10 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2650.88 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.48 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.57 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 14777 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 69104 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 19818 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 340783 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 33920 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 19254 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 41519 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 116034 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17077 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 28927 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 31233 पॉइंट पर खूलकर, 31350 के उच्च और 31000 के नीचले स्तर को छूकर, 66 पॉइंट बढ़कर 31260 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 15.6 रुपये की गिरावट के साथ 99.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 440 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7 रुपये की गिरावट के साथ 20.25 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 136000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 3 रुपये की बढ़त के साथ 571.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 185000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 740 रुपये की बढ़त के साथ 5255 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.37 रुपये की गिरावट के साथ 15.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 97 पैसे की नरमी के साथ 2.82 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 3.5 रुपये की बढ़त के साथ 86.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 430 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.7 रुपये की बढ़त के साथ 19.5 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 129000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 53.5 रुपये की गिरावट के साथ 1760.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 489 रुपये की गिरावट के साथ 4457 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1080 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.99 रुपये की बढ़त के साथ 18.1 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 93 पैसे के सुधार के साथ 3.96 रुपये हुआ।